

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय-आदेश ::

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, उदयपुर की अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक की राजस्थान सेवा नियम-160 के 4(घ) के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुए डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका जारी करने की सक्षम स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त नियम के अनुसार संबंधित कार्मिक से अधिक भुगतान लौटाने का वचन पत्र लिया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.स.	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान
01.	श्री पवन कुमार खराड़ी	अध्यापक तृतीय श्रेणी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कातर, खेरवाड़ा, उदयपुर


(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13321/डुप्लीकेट सेवापुस्तिका/2017/158 दिनांक: 02/12/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, उदयपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कातर, खेरवाड़ा, उदयपुर।
3. श्री पवन कुमार खराड़ी, अध्यापक तृतीय श्रेणी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कातर, खेरवाड़ा, उदयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर